अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

एम0आर0ए0 वाद सं0–03/2021–22

श्री संजय कुमार जयसवाल, पिता–स्व0 दुखभंजन प्र0 चौधरी, बाँधपाड़ा शांतिनगर, दुमका
–बनाम–श्री श्याम प्र0 केशरी, पिता–रामशंकर साह, मेन बाजार रोड, दुमका एवं अन्य।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
5.4.25	**आदेश** प्रस्तुत एम0आर0ए0 वाद सं0–03/2021–22 श्री संजय कुमार जयसवाल, पिता–स्व0 दुखभंजन प्र0 चौधरी, बाँधपाड़ा शांतिनगर, दुमका के द्वारा श्री श्याम प्र0 केशरी, पिता–रामशंकर साह, मेन बाजार रोड, दुमका एवं अन्य तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के नामांतरण अपील (रिवीजन) वाद सं0–04/17–18 में पारित आदेश दिनांक–23.07.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामांतरण वाद सं0–73/14–15 में पारित आदेश दिनांक–23.01.2015 को गलत एवं अवैध रूप से रद्द कर दिया गया। दुमका नगरपालिका अन्तर्गत होल्डिंग नं0–89, वार्ड नं0–14, बसौड़ी दाग सं0–1020, जमाबन्दी नं0–17/7 रकवा–01 कट्ठा भूमि का एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। उक्त भूमि के वंशजों के बीच विलेख सं0–2812/1984 दिनांक–18.07.1984 द्वारा भूमि का विभाजन किया गया है। विभाजन में प्राप्त एक हिस्से की जमीन चन्द्रप्रकाश केशरी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा बिक्री कर दिया गया एवं बिना किसी आपत्ति के याचिकाकर्त्ता का नाम रजिस्टर–2 में दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी सं0–01 ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के न्यायालय में अपील सं0–04/17–18 दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर याचिकाकर्त्ता ने पूनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की अपीलकर्त्ता का कहना है कि यह एक पक्षीय आदेश है, जो गलत, अवैध एवं निराधार है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित है कि विचाराधीन भूमि प्लॉट सं0–1020 का भाग है। जिसकी रकवा–02 कट्ठा 03 धूर 15 धूरकी है। जिसमें दो मंजिला पक्का मकान है। यह इमारत सूरज नारायण साह द्वारा बिक्रय विलेख सं0–727 द्वारा अधिग्रहण पर प्राप्त की गई थी। सूरज नारायण साह एवं राम शंकर साह जिनकी मृत्यु हो गई है। उनके चार बेटे जय प्रकाश(मृत) श्रवण प्रकाश, श्याम प्रकाश (विपक्षी), राम प्रकाश, चन्द्र प्रकाश है। विपक्षी नं0–03 जय प्रकाश की मृत्यू के उपरान्त उनकी विधवा पत्नी रेखा देवी और उनकी तीन बेटियाँ सलोनी, प्रियांशु और निधि है। सूरज नारायण साह विवादित भूमि के अंतिम अनन्य स्वामी थे। उनके पास दुमका शहर में आवासीय भवन सहित कई अन्य भूमि एवं सम्पत्ति थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही चार बेटों के बीच पारिवारिक समझौता विलेख और पंजीकृत वसीयत द्वारा सौहार्दपूर्ण सम्पत्ति का विभाजन कर लिया था। विवादित भूमि पंजीकृत वसीयत सं0–17, दिनांक–16.03.1998 के माध्यम से विपक्षी को आवंटित की गई है। विपक्षी के नाम पर म्यूटेशन भी किया गया है। विपक्षी सं0–03 को अलग से टीन बाजार की सम्पत्ति दी गई थी। इस मामले में विपक्षी सं0–03 के द्वारा बिक्री विलेख सं0–498, दिनांक–27.12.2014 के निष्पादन के जानकारी के बाद सिविल न्यायालय में उक्त बिक्री विलेख को रद्द करने के	

लिये टी0एस0 नं0–90/2016 दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। विपक्षी के द्वारा अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषयगत जमीन के विकेता चन्द्रप्रकाश केशरी ने शपथ पत्र सं0–2043, दिनांक–28.04.2018 के द्वारा बयान दिया है कि अज्ञानवश अनाधिकारी विकेता द्वारा जमीन विक्रय किया गया है। अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–805, दिनांक–29.08.2018 द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि विकेता चन्द्रप्रकाश केशरी द्वारा अनाधिकार एवं अज्ञानवश जमीन का विक्रय किया गया है। विकेता का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है।

मैने अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

इस समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/04/25
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

05/04/25
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.05.14 13:32:14 +05:30
Location: 192.168.29.220